दां.प्रकी.(जमा.) 4457/2004

08.12.2004

माननीय न्यायाधिपति श्री कृष्ण कुमार

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री राकेश अरोड़ा,
जन अभियोजक श्री अशोक उपाध्याय, उपस्थित।

योग्य अभिभाषक अभियुक्त-प्रार्थी का तर्क है कि अभियुक्त रूस्तम खां मृतक गफूर खां का पिता है और दूसरे मजरूब एजाजनुर का दादा है। गफूर खां के चाकू की चोट जाफर खां द्वारा पहुंचाई गई है जो मृतक का सगा भाई है। इसी प्रकार जुल्फीकार द्वारा भी चाकू से चोटें पहुंचाई गई है। अभियुक्त रूस्तम खां द्वारा कोई चोट कारित नहीं की गई। यह मृतक व मजरूब का पिता है और भाईयों के झगड़े के बीच में पड़ा है और उसके हाथ पर भी चोटें आई है। इस प्रकार धारा 34 भा.दं.सं. के तहत सामान्य नीयत की पूर्ति में इसके द्वारा गफूर खां को नहीं पकड़ा गया, न इसके द्वारा चाकू से चोट ही पहुंचाई गई है। अत: अभियुक्त-प्रार्थी को जमानत पर रिहा करने की इस्तदुआ की गई। उनका तर्क है कि अभियुक्त वृद्ध व्यक्ति है और काफी अरसे से हिरासत में है।

इसके विपरीत योग्य जन अभियोजक ने प्रार्थना-पत्र पर एतराज किया और तर्क किया कि इस अभियुक्त ने गफूर खां को पकड़ा है तभी वह चाकू मार सका है, अत: धारा 34 भा.दं.सं. के प्रावधानों को देखते हुए जमानत नहीं ली जावे।

मैंने दोनों पक्षों के तर्को पर विचार किया। गवाहो के बयानो के अवलोकन से एवं

अन्य रेकर्ड के अवलोकन से इस अभियुक्त द्वारा कोई भी चाकू से चोट नहीं पहुंचाई गई है मात्र गफूर खां को पकड़ा देखना बयान किया है। यह किस नीयत से पकड़ा, क्या मारने की नीयत से पकड़ा या बचाने की नीयत से पकड़ा, इस स्टेज पर गुणावगुण पर कमेण्ट करना न्यायोचित नहीं होगा। किस तरह से उत्प्रेरित किया गया हो इसकी भी कोई साक्ष्य नहीं है। अभियुक्त वृद्ध व्यक्ति है और इसके द्वारा मृतक के चोटें कारित नहीं की गई है, अभियुक्त फरार होगा या जमानत का दुरूपयोग करेगा नहीं बताया गया है। प्रकरण में आई परिस्थितियों को देखते हुए, बिना गुणावगुण पर राय दिए, अभियुक्त-प्रार्थी को जमानत पर रिहा करने के मैं उचित आधार पाता हूं।

अत: यह प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी रूस्तम खां पुत्र गुलजार खां योग्य विचारण न्यायालय के संतोषप्रद उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे बुलाया जावे, उपस्थिति हेतु, बीस हजार रूपए का बन्ध-पत्र एवं दस-दस हजार रूपए की दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत करे तो उसे जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(न्यायाधिपति कृष्ण कुमार)

जी.एन.शर्मा